

22/12/24 बार संघ का कार्य स्थगित है। पत्रावली पूर्व आदेश
अनुसार दिनांक 22/12/24 को पेश हो।

22/12/24 बार संघ का कार्य स्थगित है। पत्रावली पूर्व आदेश
अनुसार दिनांक 22/12/24 को पेश हो।

20/3/24 वकील करीके द्वारा संशोधन शीर्षक
के अन्तर्गत पत्रावली का संशोधन
शीर्षक रि 5/1/24 से पेश हो।

5/1/24 वकील करीके द्वारा पत्रावली अधिनियम
संशोधन अधिनियम (अनुसूची) अधिनियम
(20) पत्रावली अधिनियम अधिनियम 20/3/24
का 5/1/24 को पेश हो।

8/5/24 वकील करीके द्वारा संशोधन शीर्षक पर
वकील जतिनादी ने नोटिस का नाम नहीं किया
तथा अनुरोध किया कि संशोधन शीर्षक में अधिनियम
नारी व अधिनियम के दिनांक का वकील
के आय निवेदन में अधिनियम संशोधन रि 5/1/24
15/3/24 में अधिनियम अधिनियम अधिनियम
नारी अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम
नारी अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम
अधि अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम
अधि अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम
अधि अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम
अधि अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम

Handwritten signature and text on the right margin, possibly including a name like 'M. S. Oberoi'.

24/5/24 अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम
अधि अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम



होसके हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

होसके हुकम जेभा जेकर अन्तम डिग्री अलगा से
जारी कर सामिल मिल के गई प्रभावले
में निरीय खुलाभाया प्रभावले निकित
होकर नमकर से कम ही।
निकित खुले नमाभालये पुकारा।
२

डिक्री व मुकदमें इब्दाई
(आदेश 20 रूल 6-7 जाबा : दीवानी)

C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर
बईजलास : सुभाष चन्द्र (आर.एस.)

64/2021

आर.एस. : 2021/135

अशोक कुमार जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 4 थोरी कॉलोनी
श्रीगंगानगर के पास रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
-: वादी

बनाम

1. अशोक कुमार जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 4 थोरी कॉलोनी श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर। (विलोपित)
2. अजय कुमार पुत्र श्री विद्यायागार जाति अग्रवाल साकिन हाल हाऊस नं. 11 पब्लिक पार्क श्रीगंगानगर।
3. प्रीतमसिंह राय पुत्र गुरजिन्द्रसिंह राय जाति जटसिख साकिन 3 एपीडी तहसील विजयनगर हाल निवासी 23 पीएस सी रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. भूपेन्द्रकौर पत्नी तेजन्द्रसिंह जाति जटसिख साकिन 23 पीएससी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. सुखजीतकौर राय पत्नी गुरजिन्द्रसिंह राय जाति जटसिख साकिन 3 एपीडी तहसील श्री विजयनगर हाल निवासी 23 पीएससी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
6. हरप्रीतकौर राय पुत्री गुरजिन्द्रसिंह राय जाति जटसिख साकिन 3 एपीडी तहसील श्री विजयनगर रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
7. जगदीश पुत्र बीरभान जाति नायक साकिन 14 बीजीडी तहसील श्री विजयनगर हाल 23 पीएससी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
8. रमेशकुमार पुत्र श्री ज्ञानचन्द्र जाति खत्री साकिन वार्ड नं. 15 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
8. राजस्थान राज्य तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

-: प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 53-88-209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक:-24.05.2024

वाद वादी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि -वाद के वादी के अधिवक्ता श्री अवतारसिंह बराड़ , प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री प्रवीण गौड़, छविन्द्रसिंह के द्वारा तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत भूमि विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18.06.2023 के अनुसार डिक्री दी जाती हैं तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। तहसीलदार के विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18.06.2023 के अनुसार डिक्री दी जाती है कि :-

वादी-राहुल मितल पुत्र श्री अशोक कुमार के हिस्सा में :-विवादित भूमि चक 23 पी एस सी के मु.नं 50 कि.नं. 2/1 में 0.210 है. नहरी, 0.025 है. खाला, 3/1 में 0.209 है. नहरी, 0.025 है. खाला, 4/4 में 0.031 है, 5/2 में 0.006 है. कुल 0.506 है. व प्रतिवादी सं.1- अजय कुमार के हिस्सा में :-वाके चक 23पीएस सी के मु.न. 36/1.263 है., 40/1.390 है. 50/0.884 है. कुल 4.037 है., प्रतिवादी सं. 7 -रमेशकुमार के हिस्सा :- वाके चक 23 पीएससी मु.न. 50 के कि.न. 4/0.009 है, प्रतिवादी सं. 6- जगदीश के हिस्सा में :- वाके चक 23 पीएस सी के मु.नं. 50 कि.न. 4/0.023 है. नहरी भूमि हिस्से में आई है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल- दरामद किया जावे। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा।

डिक्री आज दिनांक 24.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुभाष चन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
आर.एस.

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प ड्यूटी	300/-	7. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		8. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		9. प्लीडर की फीस	
4. रूपये पर प्लीडर की फीस		10. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		11. आदेशिका की तागील	
6. कमिश्नर की फीस		12. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तागील			
जोड़	300/-	जोड़	


 उपखण्ड अधिकारी
 रायसिंहनगर
 उपखण्ड अधिकारी
 रायसिंहनगर